भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *71
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

विधि विश्वविद्यालयों के लिये प्रत्यायन प्रणाली

***71. श्री रवनीत सिंह :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम तथा पत्राचार विधि उपाधियों को समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा विधि विश्वविद्यालयों के लिये कोई प्रत्यायन प्रणाली स्थापित की गई है/किये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>विधि विश्वविद्यालयों के लिये प्रत्यायन प्रणाली से संबंधित</u> <u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *71 जिसका उत्तर तारीख 26 जून, 2019 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

(क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद, प्राधिकृत निकाय ने कथन किया है कि उसने 3 वर्षीय विधि स्नातक (एल. एल. बी.) पाठ्यक्रम को समाप्त करने का विनिश्चय नहीं किया है, क्योंकि उसका कानूनी उपबंध अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में किया गया है। उसने यह भी सूचित किया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद किसी पत्राचार विधि डिग्री या किसी दूरस्थ विधि डिग्री को मान्यता प्रदान नहीँ करती।

(ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद ने यह सूचित किया है कि 'भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक शिक्षा नियम' भाग 4, अध्याय 3, खंड 28 से खंड 31, प्रत्यायन प्रणाली का उपबंध करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्यायन समिति, प्रत्यायन के अनुप्रयोग की पद्धति और विधिक शिक्षा हेतु प्रत्यायन के नियमों का उपबंध किया गया हैं।

****